भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1276

13 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

सेल में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएँ

1276. श्री संजय सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ की वजह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने मामले लंबित हैं;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान सेल एवं सेल इकाइयों को भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के कारण वर्ष-वार कितना घाटा/आर्थिक हानि हुई है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क)और(ख): विगत पाँच वर्षों के दौरान सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल) सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के सतर्कता विभाग में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, नियमों का उल्लंघन, सेल के अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठ-गांठ, रोजगार के उद्देश्य से गलत सूचना देना आदि से संबंधित कुल 2472 शिकायतें दर्ज की गई थीं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	दर्ज की गई शिकायतों की संख्या
2018	574
2019	499

2020	492
2021	544
2022	363
कुल	2472

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2018-2022 के दौरान दर्ज 2472 शिकायतों में से केवल 51 शिकायतें ही जाँच के विभिन्न स्तरों अर्थात् प्राथमिक जाँच या विस्तृत जाँच स्तर पर लंबित थीं।

(ग): ऐसा कोई विवरण नहीं रखा जाता है।

(घ): जिन कर्मचारियों के खिलाफ कदाचार का कोई आरोप प्रथम दृष्टया पाया जाता है, उनके संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने पर कदाचार की प्रकृति के आधार पर विगत पाँच वर्षों में 228 कर्मचारियों को सेवा से हटाने/बर्खास्तगी की कड़ी सजा सहित उचित दंड दिया गया।

****